फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री लोगरलाल | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 144/23**

जीसीएमएस : 2023/418

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 06.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम लोगरलाल पिता चेना भील गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत चन्देसरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.08.23, प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर लोगरलाल पिता चेना के बजाय लोगरलाल पिता धन्ना उर्फ चेना दर्ज किये जाने पर सहमति व्यक्ति की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तह. घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 977 भूमि में खातेदार लोगरलाल पिता चेना के बजाय लोगरलाल पिता धन्ना उर्फ चेना संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **उपखण्ड अधिकारी** **मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:22 IST
Reason: SelfAttested